

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

प्रवीण कुमार मिश्रा

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 902

18 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान)

विचार के लिए मुद्दा

चकबंदी मामले से संबंधित पुनरीक्षण मामले में अंतिम प्राधिकारी द्वारा पारित निर्देश के क्रियान्वयन/तारीख के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है?

हेडनोट्स

बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956—धारा 10(6), 35—पुनरीक्षण आदेश का कार्यान्वयन/अवधि—याचिकाकर्ता ने चकबंदी संबंधी पुनरीक्षण मामले में पारित अंतिम आदेश के कार्यान्वयन की मांग की।

निर्णय: अधिसूचना संख्या 46 दिनांक 09.01.1999 के अनुसार, संबंधित क्षेत्र का अंचल अधिकारी-सह-चकबंदी अधिकारी बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अंतिम आदेशों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है—रिट निदेश के साथ निस्तारित।

(पैराग्राफ 3 से 6)

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956

मुख्य शब्दों की सूची

पुनरीक्षण आदेश का कार्यान्वयन/समयबद्धता, समेकन-संबंधी पुनरीक्षण मामले में पारित अंतिम आदेश।

प्रकरण से उत्पन्न

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 902 में दिनांक 26.06.2023 के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता; सुश्री श्रीप्रिया सिंह, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: श्री साजिद सलीम खान, एससी-25; श्री आरिफ दौला सिद्दीकी, एसी दू एससी-25।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 902

=====

प्रवीण कुमार मिश्रा, पिता स्वर्गीय बंसीधर मिश्रा, निवासी वार्ड संख्या 5, अमास, थाना - अमास, जिला-गया।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रमुख सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार, पटना के माध्यम से, बिहार राज्य।
2. जिला दंडाधिकारी -सह-समाहर्ता , गया।
3. निदेशक चकबंदी, बिहार, पटना।
4. संयुक्त निदेशक, चकबंदी, मगध मंडल, गया।
5. उप निदेशक चकबंदी, गया।
6. प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेख कक्ष, गया।
7. अंचल अधिकारी-सह-चकबंदी अधिकारी, अमास, जिला-गया।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :-

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता सुश्री श्रीप्रिया सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री साजिद सलीम खान, एससी-25 श्री आरिफ दौला सिद्दीकी, एसी से एससी-25

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

तिथि: 18.08.2023

राज्य के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में जवाबी हलफनामे की हार्ड कॉपी दाखिल करने की अनुमति चाहते हैं, जिसे स्वीकार किया जाता है और अभिलेख में रखा जाता है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं।

3. दिनांक 26.06.2023 के आदेश के माध्यम से राज्य के अधिवक्ता को राजस्व और भूमि सुधारों के प्रधान सचिव के स्तर पर एक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि चकबंदी मामले से संबंधित पुनरीक्षण मामले में अंतिम प्राधिकारी द्वारा पारित निर्देश का *तरमीम* /कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है।

4. प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार ने हलफनामा निष्पादित किया है। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ-8 में, प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधारों का जवाब इस प्रकार है:

“ यह कि *तरमीम/कार्यान्वयन* की शक्तियों से संबंधित माननीय न्यायालय द्वारा उठाए गए विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है और कहा जाता है कि क्षेत्र के संबंधित अंचल अधिकारी के पास चकबंदी अधिकारी की शक्ति निहित है, जो बदले में पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश का कार्यान्वयन करेगा जिसने बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 के तहत अंतिमता प्राप्त की है। उक्त व्यवस्था उपरोक्त अधिसूचना संख्या 46 दिनांकित 09.01.1999 से निकलती है।

5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर दिए गए विशिष्ट उत्तर के मद्देनजर, क्षेत्र के चकबंदी अधिकारी-सह-अंचल अधिकारी इस निर्णय को लागू/तरमीम करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 के तहत अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।

6. इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है, जिसमें उत्तरदाता संख्या 7 को निर्देश दिया जाता है कि वह प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को लागू करे, बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि यह आदेश अंतिम है।

(डॉ अंशुमान, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।